न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 29/2017

अपीलांट–
हेमलता पुत्री भोजाराम पत्नी मूलाराम जाति जाट निवासी धनोड़ा (चाडी) तहसील रामसर जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. तहसीलदार रामसर
2. चुतराराम पुत्र आदुराम फोत के कायम मुकाम–

2.1. गोरधनराम पुत्र चुतराराम
2.2. सोनाराम पुत्र चुतराराम
2.3. हुकमाराम पुत्र चुतराराम
2.4. तुलसी पत्नी चुतराराम
2.5. मीरों पुत्री चुतराराम पत्नी भंवराराम जाति जाट निवासी बाछड़ाउ तहसील चोहटन जिला बाड़मेर
2.6. मथरों देवी पुत्री चुतराराम पत्नी आसूराम जाति जाट निवासी चूली डूंगरी केरनाडा तहसील चोहटन जिला बाड़मेर
2.7. अनु पुत्री चुतराराम पत्नी दलाराम जाति जाट निवासी जैसार तहसील चौहटन जिला बाड़मेर
2.8. पेम्पो पुत्री चुतराराम पत्नी खरथाराम जाति जाट निवासी तारातरा तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.05.2001 जो तहसीलदार रामसर द्वारा प्रकरण सं. 01/2000 में पारित कर उसके अनुसरण में ग्राम जायडू के नामान्तरकरण सं. 342 दिनांक 02.06.2001 स्वीकृत किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:43 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–
1. श्री श्रवण कुमार चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।
3. श्री पदमसिंह पडिहार, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2.1से2.4 की ओर से उपस्थित।
4. श्री सुनिल के मेराजा, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2.5 की ओर से उपस्थित।
5. दिगर रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

निर्णय

दिनांक : 15/09/2021

1. अपीलांट्स की ओर से यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत तहसीलदार रामसर द्वारा प्रकरण सं. 1/2000 में पारित निर्णय दिनांक 18.05.2001 एवं उसके अनुसरण में मौजा जायडू के नामान्तरकरण सं. 342 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 02.06.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा जायडू के खसरा नम्बर 189/1 रकबा 61–00 बीघा भूमि भोजाराम पुत्र चुतराराम कौम जाट साकिन चौहटन आगोर खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज थी। उक्त खातेदार भोजाराम के फोत होने पर हल्का पटवारी इन्द्रोई द्वारा नामान्तरकरण सं. 276 मृतक भोजाराम के पिता चुतराराम वल्द आदूराम जाति जाट निवासी चौहटन आगोर के नाम दायर कर ग्राम पंचायत इन्द्रोई के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सरपंच, ग्राम पंचायत इन्द्रोई द्वारा उक्त नामान्तरकरण सं. 276 को आदेश दिनांक 25.06.1997 को खारिज कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर चुतराराम द्वारा प्रथम अपील सं. 11/2000 उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपील पर सुनवाई उपरांत निर्णय दिनांक 10.10.2000 के द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत इन्द्रोई के आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार रामसर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए जांच उपरांत नियमानुसार नामान्तरकरण का निस्तारण करें। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के निर्देशों की [illegible] तहसीलदार रामसर द्वारा प्रकरण सं. 01/2000 दर्ज कर जांच एवं सुनवाई उपरांत निर्णय दिनांक 18.05.2001 के द्वारा मृतक खातेदार भोजाराम के [illegible] वारिस के रूप में चुतराराम पुत्र आदुराम कौम जाट सा0 चौहटन आगोर के नाम दायर किया जाना सही होने के कारण स्वीकार किया गया। इस आदेश के अनुसरण में हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

पटवारी द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 342 पुनः चुतराराम पुत्र आदुराम कौम जाट सा0 चौहटन आगोर के नाम दर्ज कर तहसीलदार रामसर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे आदेश दिनांक 02.06.2001 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। अपीलांट द्वारा सर्वप्रथम उक्त नामान्तरकरण दायर करने बाबत प्रकरण सं. 1/2000 में पारित आदेश से सम्बन्धित पत्रावली एव निर्णय की प्रतिलिपियां तहसील कार्यालय रामसर से मांगे जाने पर तहसीलदार रामसर द्वारा अपने पृष्ठांकन पत्र क्रमांक : 157 दिनांक 23.02.2017 के द्वारा अपीलांट को अवगत कराया गया कि वाद सं. 01/2000 के निर्णय संबंधित वाद की मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं हैं। इस पर अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण सं. 342 स्वीकृति दिनांक 02.06.2001 के विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपील के संलग्न अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये। अपीलांट की अपील मयाद पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण की मूल परत वास्ते अवलोकन मंगवाई गई। सुनवाई के दौरान रेस्पो0 सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया गया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 342 तहसीलदार रामसर के निर्णय दिनांक 18.05.2001 के अनुसरण में दायर किया गया हैं ऐसे में मूल निर्णय को चुनौती दिये बिना इस नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं हैं। इस पर अधिवक्ता अपीलांट के प्रार्थना–पत्र पर उक्त प्रकरण सं. 1/2000 से सम्बन्धित पत्रावली तहसीलदार रामसर से तलब की गई। तहसीलदार रामसर से उक्त पत्रावली न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर भिजवाई गई है। इस पर अपीलांट के द्वारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर इस अपील व प्रकरण सं. 1/2000 में पारित निर्णय दिनांक 18.05.2001 के विरूद्ध प्रथम अपील मानने का निवेदन किया गया। चुंकि उक्त प्रकरण में तथा नामान्तरकरण सं. 342 में मुख्य रूप से

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:43 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

मृतक भोजाराम के उत्तराधिकार के विवाद का बिन्दु निहित हैं ऐसे में न्यायहित में हस्तगत अपील को तहसीलदार रामसर के प्रकरण सं. 1/2000 में पारित निर्णय दिनांक 18.05.2001 व उसके अनुसरण में पारित नामान्तरकरण सं. 342 स्वीकृति आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील के रूप में मानते हुए उभय पक्षकारान को सुना गया।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 2.1 से 2.4 के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि विवादित भूमि भोजाराम पुत्र चुतराराम कौम जाट साकिन चौहटन आगोर की खातेदारी में दर्ज थी तथा उसकी मृत्यु के समय उसके प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान में केवल अपीलांट ही एक मात्र वारीस जीवित थी। इस आधार पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत अपीलांट के पिता निर्वसीयती फोत होने के कारण उक्त विवादित खेत अपीलांट में निहित हो गया। अपीलांट के पिता भोजाराम के देहान्त के समय अपीलांट अवयस्क होने के कारण अपने दादा प्रतिवादी सं. 2 चुतराराम के संरक्षण में रहने लगी एवं लगभग 9–10 वर्ष तक उक्त विवादित आराजी भोजाराम के नाम यथावत रही थी। अपीलांट के दादा ने अपीलांट को कहा था कि अपीलांट के पिता द्वारा खरीदशुदा खेत मौजा जायडू में आया हुआ हैं जो उसके देहान्त के कारण अब अपीलांट का हैं किन्तु अपीलांट के दादा ने उक्त खेत अपीलांट के नाम दर्ज कराने की बजाय विरासत का नामान्तरकरण सं. 342 अपने नाम स्वीकृत करवा दिया। अपीलांट ने अपने विवाह के बाद भी कई बार अपने दादा को उक्त खेत अपने नाम दर्ज कराने हेतु कहा किन्तु बार–बार आश्वासन देते रहे। अर्सा लगभग 15–20 दिन पूर्व जब अपीलांट अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु अपीलाधीन खातेदारी खेत की नकले प्राप्त करने हेतु अपने प्रतिनिधि को पटवारी के पास भेजा तो ज्ञात हुआ कि उक्त खेत अपीलांट के नाम दर्ज नही है। इस पर हल्का पटवारी से पूछने पर ज्ञात हुआ कि तहसीलदार रामसर के वाद सं.

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:43 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

01 / 2000 मे निर्णय दिनांक 18.05.2001 एवं उसकी पालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 342 से यह आराजी रेस्पोडेंट सं. 2 चुतराराम के नाम दर्ज हो गई हैं। इस पर तहसीलदार रामसर के कार्यालय से दिनांक 14.03.2017 को नकले प्राप्त होने पर अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। इसके साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ प्रस्तुत किये गये हैं।

4. अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया कि रेस्पो0 सं. 2 अपीलांट के दादा ने उन्ही संरक्षण में बड़ी हुई अपीलांट स्व. भोजाराम के प्रथम श्रेणी की वारीस होने तथ्य को छिपाकर स्वंय को प्रथम श्रेणी को वारीस बताते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण दायर करवा दिया जबकि रेस्पो0 सं. 2 धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। अपीलांट द्वारा सर्वप्रथम तहसीलदार रामसर के कार्यालय में प्रकरण सं. 1 / 2000 में पारित निर्णय दिनांक 18.05.2001 से सम्बन्धित नकल मांगी गई किन्तु भरसक प्रयत्न के बावजूद आदेश अपीलांट को प्राप्त नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामसर द्वारा अपीलाधीन प्रकरण सं. 1 / 2000 एवं नामान्तरकरण सं. 342 स्वीकृति से पूर्व मृतक खातेदार भोजाराम के विधिक वारीसान की कोई जांच नहीं की गई और न ही अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन दोनो की कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य हैं। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार रामसर द्वारा प्रकरण सं. 01 / 2000 में पारित निर्णय दिनांक 18.05.2001 एवं उसके अनुसरण में मौजा जायडू के नामान्तरकरण सं. 342 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 02.06.2[illegible] अपास्त करते हुए विवादित भूमि मृतक भोजाराम के विधिक वारीसान के [illegible] दर्ज करने हेतु प्रकरण पुनः जांच एवं नये सिरे से नामान्तरकरण [illegible] करने हेतु तहसीलदार रामसर को निर्देशित किये जाने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:43 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

5. अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 2 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि नामान्तरकरण कार्यवाही सरसरी होती हैं जिससे किसी के हक तय नहीं किये जा सकते हैं। अगर अपील के तथ्य गौर करें तो भी अपीलांट अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करवाने की अधिकारी नहीं हैं क्योंकि अपीलांट स्व0 भोजाराम की पुत्री अपने आपको बताती हैं और अकेली ही स्व0 भोजाराम की वारीस होना कहती हैं तथा अपनी माता के द्वारा नाता (दूसरी शादी) करना बताती हैं तो स्व0 भोजाराम के स्वर्गवास के रोज अकेली वारीस नही थी । अपीलांट के कथनानुसार भोजाराम की पत्नी का भी 1/2 हिस्सा था। इस प्रकार अपीलांट अपने हक सक्षम न्यायालय में तय करवाये बिना नामान्तरकरण खारिज करवाने की अधिकारी नहीं हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 342 तहसीलदार रासमर के द्वारा प्रकरण सं. 1/2000 में जांच एवं सुनवाई उपरांत पारित निर्णय दिनांक 18.05.2001 के अनुसरण में स्वीकृत किया गया हैं जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील सरासर मयाद बाहर हैं तथा अपीलांट द्वारा मयाद के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक कारण प्रकट नहीं किये हैं। लिहाजा अपीलांट की अपील मयाद बाहर एवं सारहीन होने से मय खर्चा खारिज फरमाई जावें।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 2.4 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट हेमलता ने स्वंय को भोजाराम की प्रथम श्रेणी की एकमात्र जीवित वारीस तथाकथित पुत्री बताते हुए आलौच्य नामान्तरकरण को निरस्त करने का निवेदन किया हैं। उक्त तथ्य पूर्णतया गलत है तथा भोजाराम रेस्पो0 सं. 2.4 तुलसी पत्नी चुतराराम का जाईंदा पुत्र था और वह हिन्दु विधि से शासित होते हैं। हिन्दु उत्तराधिकार विधि अनुसार किसी पुरूष हिन्दु के निर्वसीयती फोत हो जाने पर उसके प्रथम श्रेणी के वारीस में पुत्र, पुत्री व माता आते हैं। इस प्रकार रेस्पो0 सं. 2.4 मृतक भोजाराम की माता होने से प्रथम श्रेणी की वारीस है, ऐसी स्थिति में मृतक भोजाराम के नाम दर्ज भूमि पाने की अधिकारिणी हैं। विवादित भूमि मृतक भोजाराम के पिता चुतराराम ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर ... / राजस्थान
सत्यमेव जयते
अपर कलेक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

संयुक्त परिवार की आय से खरीदकर भोजाराम के नाम रजिस्ट्री करवाई थी, इसी कारण आलौच्य नामान्तरकरण द्वारा संयुक्त हिन्दु परिवार के कर्ताखानदान के रूप में चुतराराम के नाम दर्ज करवाई गई हैं। इस आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं जो मय खर्चा खारिज फरमाई जावें।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा जायडू के खसरा नम्बर 189 / 1 रकबा 61–00 बीघा भूमि भोजाराम पुत्र चुतराराम कौम जाट सा0 चौहटन आगोर खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज थी। उक्त खातेदार भोजाराम के फोत होने पर हल्का पटवारी इन्द्रोई द्वारा नामान्तरकरण सं. 276 मृतक के पिता चुतराराम के नाम दायर कर ग्राम पंचायत इन्द्रोई के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा खारिज कर दिया। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा खारिज नामान्तरकरण के विरूद्ध चुतराराम द्वारा प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा उक्त अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार रामसर को प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया कि मृतक खातेदार के विधिक वारीसान की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण निस्तारण करें। इस पर तहसीलदार रामसर द्वारा प्रकरण सं. 1 / 2000 संस्थित कर सुनवाई उपरांत निर्णय दिनांक 18.05.2001 के द्वारा मृतक खातेदार भोजाराम के विधिक वारीस के रूप में चुतराराम को स्वीकार किया गया तथा इस निर्णय के अनुसरण में अपीलाधीन नामान्तरकरण सं 342 दिनांक 02.06.2001 को स्वीकृत किया गया। अपीलांट द्वारा इस नामान्तरकरण [illegible] रण सं. 1 / 2000 में पारित निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत कर [illegible] ही मृतक खातेदार की जायन्दा पुत्री होने से [illegible] की विधिक वारीस होने से विवादित आराजी का नामान्तरकरण दायर करने का निवेदन किया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

रेस्पोडेंट सं. 2 चुतराराम जो अपीलांट का दादा हैं, ने अपने जवाब में अपीलांट को मृतक भोजाराम की पुत्री नहीं होने का कहीं उल्लेख नहीं किया हैं। इसके अलावा रेस्पो0 सं. 2.4 तुलसी पत्नी चुतराराम अपीलांट की दादी एवं मृतक खातेदार भोजाराम की माता होने से उसने भी स्वंय को प्रथम श्रेणी का विधिक वारीस होने से अपना हक–अधिकार होना प्रकट किया हैं। इस प्रकार हस्तगत अपील में मुख्य रूप से मृतक खातेदार भोजाराम के विधिक वारीसान की जांच अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2001 में अपूर्ण होना प्रतीत होता हैं। जहां तक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2.4 के अधिवक्ता का कथन हैं कि विवादित भूमि संयुक्त परिवार की आय से चुतराराम द्वारा अपने पुत्र भोजाराम के नाम से क्रय की गई है, तो इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने से मात्र कयासी अभिकथन प्रतीत होता हैं। इसके अलावा यदि अपीलांट की माता एवं स्व0 भोजाराम की पत्नी जीवित भी हैं तो भी जब उसके द्वारा नाता (पुर्नविवाह) कर लिया हैं तो उसे मृतक की सम्पत्ति में विरासत अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं तथा वह आवश्यक पक्षकार नहीं हैं। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारीसान जीवित होते हुए भी द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी पिता का नाम दर्ज करने का जो अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार रामसर द्वारा पारित किया गया हैं वह विधि अनुकूल उचित नहीं होने से खारिज योग्य प्रतीत होता हैं। जहां तक मयाद के बिन्दु का प्रश्न हैं तो अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व समस्त विधिक वारीसान को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का साक्ष्य प्रतीत नहीं होता हैं तथा बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित आदेश की अपीलांट को जानकारी नहीं होने का तथ्य सद्[illegible] लिहाजा अपीलांट की यह अपील जानकारी होने से [illegible] हैं तथा उपर्युक्त उल्लेखित तथ्यों पर विवे[illegible]त प्रतीत होती हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार रामसर द्वारा प्रकरण सं. 1/2000 में पारित निर्णय दिनांक 18.05.2001 एवं उसके अनुसरण में मौजा जायडू के नामान्तरकरण सं. 342 स्वीकृति दिनांक 02.06.2001 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार रामसर को पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि मृतक खातेदार भोजाराम पुत्र चुतराराम के विधिक वारीसान की जांच कर उन्हे नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण कार्यवाही सम्पन्न करें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

9. निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:43 IST
Reason: SelfAttested